भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No.2012/H-1/12/1/Dental/Policy **New Delhi, dated 13.10.2014**

The General Managers/Chief Administrative Officer(R),
All Indian Railways/All Production Units.
The Director General, RDSO, Lucknow

Sub:- Extension to the arrangement relating to provision of reimbursement of expenditure incurred on the Dental treatment by Railway beneficiaries.

Ref:- Board's letter of even no. dated 14.12.2012.

Sanction of the Ministry of Railways has been accorded for the arrangement relating to provision of reimbursement of expenditure incurred on the Dental treatment by Railway beneficiaries and the last sanction was for a period upto 11.09.2014 vide this office letter of even no. dated 14.12.2012 on the same terms and conditions.

Ministry of Railways have now decided to extend the aforesaid arrangement, further for a period of two years from 12.09.2014 till 11.09.2016.

However, this facility would stand withdrawn automatically in case any Railway hospital/health unit is provided with part time/ full time dental surgeon and infrastructure facilities.

It may be ensured that re-imbursement may be made to CGHS approved dental procedures and rates only and Zonal Railway may reimburse the expenditure incurred on other dental procedures which are not included in CGHS list, if done at the nearest Government Dental College/ Hospital as per the charges levied by such institutions (this should not include material and lab charges from outsourced private agencies). In all cases whose re-imbursement has been sanctioned beyond the prescribed condition, responsibility may be fixed at railway's level, without fail, in each case.

This issues with the concurrence of the Finance Dte. of the Ministry of Railways.

(Dr.S.K.Sabharwal)
Executive Director/H(G)
Railway Board

No. 2012/H-1/12/1/Dental/Policy **New Delhi, dated 13.10 .2014**

1. The FA&CAOs, All Indian Railways & All Production Units.
2. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways & All Production Units.
3. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 222, RailBhavan, New Delhi

for Financial Commissioner/Railways

Copy for DDF(E) 1 & F (E) Spl., Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2012/एच-1/12/1/डेन्टल/पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक 13/10.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर),
सभी भारतीय रेलें/सभी उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ. अ. एवं मा. सं., लखनऊ

विषय: रेल लाभार्थियों द्वारा दंत चिकित्सा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित व्यवस्था की अवधि बढ़ाना।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 14.12.2012 का समसंख्यक पत्र।

रेल मंत्रालय द्वारा रेल लाभार्थियों द्वारा दंत चिकित्सा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रावधान से संबंधित स्वीकृति दी गई है। इस कार्यालय के दिनांक 14.12.2012 के समसंख्यक पत्र के तहत समान अनुबंध एवं शर्तों पर पिछली स्वीकृति 11.09.2014 तक की अवधि के लिए दी गई थी।

रेल मंत्रालय ने अब उक्त व्यवस्था को 12.09.2014 से 11.09.2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए पुन: बढ़ाने का निर्णय लिया है।

बहरहाल, यदि किसी रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाई में अंशकालिक/पूर्णकालिक दंत शल्य चिकित्सक और अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया करा दी जाती है तो यह सुविधा स्वत: समाप्त हो जाएगी।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति केवल सीजीएचएस द्वारा अनुमोदित दंत चिकित्साओं के लिए एवं उनके द्वारा स्वीकृत दरों पर ही करना सुनिश्चित किया जाए और क्षेत्रीय रेलें निकटवर्ती सरकारी डेंटल कॉलेजों/अस्पतालों में कराई गई अन्य दंत चिकित्साओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति उन संस्थानों द्वारा लगाए गए प्रभारों (इसमें आउटसोर्स किए गए प्राइवेट एजेंसियों की सामग्री और प्रयोगशाला प्रभार शामिल नहीं होने चाहिए) के अनुसार करें। ऐसे सभी मामलों में रेलवे स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए जिनमें निर्धारित शर्त से बाहर स्वीकृति दी गई हो।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

सुनीत

(डॉ. एस. के. सभरवाल)
कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य(सा.)
रेलवे बोर्ड

सं. 2012/एच-1/12/1/डेन्टल/पॉलिसी नई दिल्ली, दिनांक/3/10 2014

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/ सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
3. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रति: उप निदेशक वित्त (स्था.)1 एवं वित्त (स्था.) विशेष, रेलवे बोर्ड